न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, टोंक

(पीठासीन अधिकारीः नित्या के0, आई.ए.एस.)

प्रकरण सं0—277/2016

प्रविष्टि दिनांक – 19.08.2016

उनवान

राजेन्द्र पुत्र कजोड़मल जाति बैरवा निवासी धन्ना तलाई टोंक तहसील व जिला टोंक राज0

–वादी/आवेदक

बनाम

1. गोविन्दा पुत्र कन्हैया जाति माली निवासी नैनसुख की बगिया टोंक तहसील व जिला टोंक राज0
2. हनुमान पुत्र कन्हैया जाति माली निवासी नैनसुख की बगिया टोंक तहसील व जिला टोंक राज0
3. ~~लक्ष्मी बेवा कन्हैयालाल जाति माली निवासी नैनसुख की बगिया टोंक तहसील व जिला टोंक राज0~~(मृतक)
4. हिमांशू पुत्र बाबूलाल जाति बैरवा निवासी धन्ना तलाई टोंक
5. हितेन जोनवाल पुत्र बाबूलाल जाति बैरवा निवासी धन्ना तलाई टोंक नाबालिगान जरिये सरपरस्त माता श्रीमती मीरा देवी पत्नि बाबूलाल जाति बैरवा निवासी धन्नतलाई टोंक।
6. महेन्द्र मेहरा पुत्र स्व0 रामचन्द्र मेहरा जाति बैरवा निवासी धन्ना तलाई टोंक

–प्रतिवादीगण

7. तहसीलदार टोंक

उपस्थित– श्री रमेश शर्मा – अभिभाषक प्रार्थी
श्री भजनलाल सैनी– अभिभाषक अप्रार्थी 1–2
श्री गोविन्द नारायण शर्मा–अभिभाषक अप्रार्थी 4–5
श्री अर्जुनलाल मीणा–पेरोकार सरकार

निर्णय

आवेदन रास्ता दिलाये एवं नक्शा शीट में रास्ते की तरमीम किये जाने बावत अन्तर्गत धारा–251 ए आरटीएक्ट

दिनांक – 05.03.2021

अधिवक्ता वादी/आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मे अंकित तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से है कि प्रार्थना–पत्र यह है कि भूमि खसरा नम्बर 6700/1 रकबा 5 बीघा 2 बिस्वा, खसरा नम्बर 6700/2 रकबा 1 बिस्वा कुल किता 2 कुल रकबा 5 बीघा 3 बिस्वा वाके कस्बा टोंक शर्की तहसील व जिला टोंक राज0 में स्थित है। उपरोक्त आराजीयात में आवेदक सं0 1 का 1/2 हिस्सा व प्रतिपक्षी सं0 6 का 1/2 हिस्सा है। आवेदक व विपक्षी सं0 6 इस भूमि के तन्हा खातेदार, काबिज, काश्तकार है और मौके पर कदीम से अपनी आराजीयात को काश्त करते चले आ रहे है। आवेदक व प्रतिपक्षी अपनी आराजी को काश्त करने तथा फसल पैदावार आदि लाने व ले जाने हेतु संलग्न शीट मे बने हुए रास्ता जो उत्तर से दक्षिण बना हुआ है, जो ख0नं0 6684 व 6683 की मध्य मेड पर होता हुआ पूर्वी ओर आवेदक व प्रतिपक्षी के खेत व कुए पर जा रहा है। इसी रास्ते से आवेदक व विपक्षी सं0 6 कदीम से आते जाते रहे है। उक्त रास्ते से अब प्रतिपक्षी सं0 1 ता 5 उक्त भूमि खसरा नम्बर 6683 व 6684 की मेड पर बने हुए रास्ते से आवेदक व प्रतिपक्षी सं0 6 को आने जाने व कृषि साधनों के आने जाने में बाधा उत्पन्न करने लगे है। जबकि आवेदक की उक्त खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि व चाह पर आने जाने के लिए अन्य कोई रास्ता भी बना हुआ नही है। प्रतिपक्षीगण के खातेदारी व कब्जे की भूमि खसरा नम्बर 6684 व 6683 की मध्य मेड पर होते हुए पर्वू पश्चिम लम्बाई में 30 फिट चोडा रास्ता आवेदकगण के खेत पर जाने आने के दिलाया जाना आवश्यक एवं न्याय संगत है। आवेदकगण उक्त रास्ते के लिए न्यायालय के आदेशानुसार डीएलसी दर के अनुसार राशि भी जमा कराने को तैयार व तत्पर है। अतः आवेदन मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि आवेदक का आवेदन स्वीकार किया जाकर प्रतिपक्षी सं0 1 ता 5 की खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 6683, 6684 की क्रमशः दक्षिणी व उत्तरी मेड (मध्य मेड) पर 30 फिट चोडाई में पूर्व पश्चिम लम्बाई में आवेदक व विपक्षी सं0 6 की खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि ख0नं0 6700/1, 6700/2 में तथा इसमें बने हुए चाह वाके कस्बा शर्की टोंक में आने जाने के लिए रास्ता दिलाया जाये। आवेदकगण नियमानुसार डीएलसी दर के अनुसार न्यायालय के आदेश से राशि जमा कराने को तैयार है तथा रास्ते को नक्शा शीट में भी विपक्षी सं0 7 तहसीलदार टोंक से रास्ते को प्रदर्शित करवाया जाये।

प्रार्थी ने आवेदन पत्र में अंकित तथ्यों को साबित करने के लिए साक्ष्य दरतावेज के रूप में नकल जमाबन्दी खसरा नं0 6700/2, 6700/1 संवत 2070–73, नकल जमाबन्दी खाता सं0 219, 6683 सम्वत 2070–73, नकल नक्शा ट्रेस आदि पेश किये, जो शामिल पत्रावली है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिपक्षीगण की तलबी की गयी। अप्रार्थीगण 1 व 2 ने जवाब दावा पेश किया, जिसके अनुसार आवेदन का चरण नं0 3 गलत है एवं अस्वीकार है, कुआं खसरा नं0 6684 में है जो प्रतिपक्षी सं0 1 व 2 की खातेदारी में खुदा हुआ है एवं उत्तरदाता ने

उपखण्ड अधिकारी टोंक (राज0)

खुदवाया है एवं शामलाती है। ख0नं0 6684 एवं 6683 की मेड पर कोई रास्ता नही है। ख0नं0 6700/1 व ख0नं0 6700/2 स्वयं आवेदक व विपक्षी सं0 6 के है तथा प्रतिपक्षी नं0 6 ने मौके पर प्लाटिंग करके प्लाट बेच रहा है और प्लाटों में कालोनी में रास्ते छुटे हुए है जिसमें आवेदक ने भी दो प्लाट रास्ते के लिए रख रखे है जो ख0नं0 6700/1 व 6700/2 में बने हुऐ है तथा प्लाटिंग में मकान बने हुए है जो कालोनी में मिलकर उत्तर दक्षिण रास्ते में निकलते है लेकिन आवेदक के मन में बेईमानी आ जाने से वह शामलाती चाह कुए का अकेला ही कॉमर्शियल उपयोग लेना चाहता है तथा पैसे लेकर पानी के टेंक भरवाता है और उसी कुऐं में से पीने के पानी की पाईप लाईन कॉलोनी में अण्डरग्राउण्ड दे रखी है और प्रतिमाह कॉलोनी वासियों से पैसे वसूल करता है और कुऐं का पानी का कॉमर्शियल उपयोग कर रहा है तथा अपने खेत में प्लाट काटना चाहता है और सीधे मुख्य रास्ते में प्रवेश करना चाहता है। जिसका कि उसको कोई वैधानिक अधिकार प्राप्त नही है, आवेदक अपने खेत व कुऐं को कृषि से अकृषि के उपयोग में ले रहा है। आवेदक के पास विकल्प में कॉलोनी में होकर दूसरा रास्ता मौजूद है रास्ते के लिए स्वयं ने भी दो प्लाट खाली रख रखे है। ख0नं0 6684 व 6683 की मध्य मेर पर कोई रास्ता नही है और न ही कभी आवेदक इस पर आते जाते रहे है। आवेदक 30 फिट चोडा रास्ता मांग रहा है जिससे स्पष्ट है कि वह अपनी भूमि ख0नं0 6700/1 व 6700/2 के अपने हिस्से में कॉलोनी काटकर प्लाट बेचना चाहता है तथा कुऐं का भी सीधा रास्ता लेकर अकृषि के रूप में उपयोग उपभोग करना चाहता है जिसकी इजाजत बिना वास्तविकता जाने ओर बिना मौके की रिपोर्ट मंगवाये न्यायालय इजाजत नही दे सकता। आवेदक न्यायालय से किसी भी प्रकार की निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी नही है। प्रतिपक्षी सं0 6 को फार्मल पक्षकार बनाया गया है। आवेदक व प्रतिवादी सं0 6 को किसी प्रकार की हानि नही होगी क्योंकि उनके पास पहले से ही वैकल्पिक रास्ता कॉलोनी में होकर मौजूद है। अतः जवाब आवेदन पेश कर निवेदन हे कि आवेदक का आवेदन मय हर्जा–खर्चा खारिज फरमाया जावे।

प्रतिवादी सं0 4 व 5 द्वारा कई अवसरों के बाद भी जवाब पेश नही करने के कारण न्याय हित में प्रति0सं0 4 व 5 का जवाब बन्द किया गया है। प्रतिवादी संख्या–3 की मृत्यु होने एंव प्रतिवादी संख्या–6 के बावजूद नोटिस तामिल उपस्थित नहीं होने से न्यायहीत में एक तरफा कार्यवाही की गयी।

प्रतिपक्षी संख्या 7 तहसीलदार टोंक से वादग्रस्त रास्ते के संबंध में मौका रिपोर्ट तलब की गयी। तहसीलदार ने ने जरिये पेरोकार सरकार मौका रिपोर्ट पेश की जिसमें अंकितानुसार खसरा नम्बर 6700/1 व 6700/2 में जाने का एक मात्र रास्ता खसरा नम्बर 6684 के उत्तर की तरफ है जो वर्तमान में चालू है इसके अलावा अन्य कोई और रास्ता खसरा नम्बर 6700/1 व 6700/2 पर जाने का नहीं है, खसरा नम्बर 6684 में 90x30 वर्गफीट भूमि रास्ते के रूप में उपयोग में आ रही है।

अप्रार्थी तहसीलदार ने उक्त मौका रिपोर्ट के साथ नकल जमाबन्दी, नजरी नक्शा आदि पेश किये जो शामिल पत्रावली किये गये।

हमने वकील उभयपक्ष की बहस सुनी। बहस के दौरान दोनों वकील पक्षकारों ने अपने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा 20 फीट रास्ता दिये जाने की मांग की गई। जिसका यहा पृथक से उल्लेख नहीं किया जा रहा है। मुताबिक जवाब तहसीलदार टोंक वादी द्वारा चाहे गये रास्ते के अतिरिक्त मौके पर कोई अन्य वैकल्पिक मार्ग नही है। अतः मुताबिक तहसीलदार टोंक रिपोर्ट यह न्यायालय आवेदन पत्र प्रार्थीगण स्वीकार किया जाना उचित समझता है।

आदेश

फलस्वरूप आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 251ए, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम स्वीकार किया जाकर आवेदकगण को उनकी खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजी ख0नं0 6700/1 व 6700/2 वाके कस्बा टोंकशर्की तहसील व जिला टोंक में आने जाने, कृषि यन्त्र, ट्रेक्टर, हल, कुली, ट्रोली आदि लाने ले जाने के लिए प्रतिपक्षी संख्या 1 लगायत 2 की खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि ख0नं0 6684 रकबा 1 वीघा 05 बिस्वा वाके कस्बा टोंकशर्की तहसील व जिला टोंक की मेड के सहारे सहारे चौड़ाई में 20 फिट चौड़ा रास्ता दिये जाने के आदेश दिये जाते है। उक्त रास्ते को नक्शा शीट में प्रदर्शित करवाया जाये तथा राजस्व रिकार्ड में रास्ते के रूप में अंकित किया जावे। तहसीलदार टोंक को उक्तानुसार पालना कर, नियमानुसार कार्यवाही एवं नियमानुसार राशि आवेदक से वसूली कर, आवेदक को रास्ता दिया जाकर, राजस्व रिकार्ड मे अंकन कर पालना से अवगत करावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम की जाकर, दाखिल दफ्तर की जावे।

निर्णय आज **दिनांक** 05/03/2021 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(नित्या के0)
आई.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी, टोंक